

लग्न ६-४ (आवश्यक)

(B)

ज्ञापांक ७१५ /सी०आर०

पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, सिमडेगा ।  
दिनांक ०९.०९.२००७

सेवा में,

श्री सोहन लाल  
सहायक निदेशक, भारत सरकार  
अनुसूचित जनजाति आयोग,  
छठी मंजिल "बी विंग लोक नायक भवन  
खान मार्किट, नई दिल्ली - ११०००३

प्रसंग:-

मवदीय कार्यालय का पत्राक स.ज्ञ.१८५५ ००८  
यू. ११ दिनांक २०.६.२००७।

विषय:-

अनुसूचित जनजाति की डॉ मार्था संतोषी कुजूर की हत्या के संबंध में

महाभाय,

उपर्युक्त प्रसंग एवं विषय के संबंध में सूचित करना है कि अनुसूचित जन जाति की डॉ मार्था संतोषी कुजूर की हत्या के उपरान्त उनके पिता रार्बट कुजूर पिता- स्व० अलफोस कुजूर सा० मुकुन्दा थाना बेड़ो जिला राँची डा० मो० प्रशाखा पदाधिकारी उघोग विभाग, ज्ञारखण्ड, राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त डा० उमेश प्रसाद २० बालमती देवी के विलद डा० संतोषी मार्था कुजूर की हत्या कर आत्महत्या का रूप देने के लिए पेड़ में टाँग देने के आरोप में कुरड़ेग थाना कांड संख्या- २१/२००७ दिनांक- २२.०५.२००७ धारा- ३०२ भा० ३० वि० अंकित कराया गया। अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण से इस कांड को धारा-३०२/३४ भा०३० वि० के अन्तर्गत प्राथमिकी अभियुक्त । डा० उमेश प्रसाद जो उनके पति है एवं २० बालमती देवी के विलद सत्य पाया गया गथा आरोप पत्र के लिए प्रयोग्यता साहिय उपलब्ध होने के कारण उपरोक्त दोनों अभियुक्तों के विलद न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया है।

555/भा/PV/श्री  
२१.०९.२००७

प्रतिलिपि :- १. वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को उनके ज्ञापांक- ७७२०/सा०शा० दिनांक- १६.८.२००७ के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक  
सिमडेगा।

पुलिस अधीक्षक  
सिमडेगा।

=====